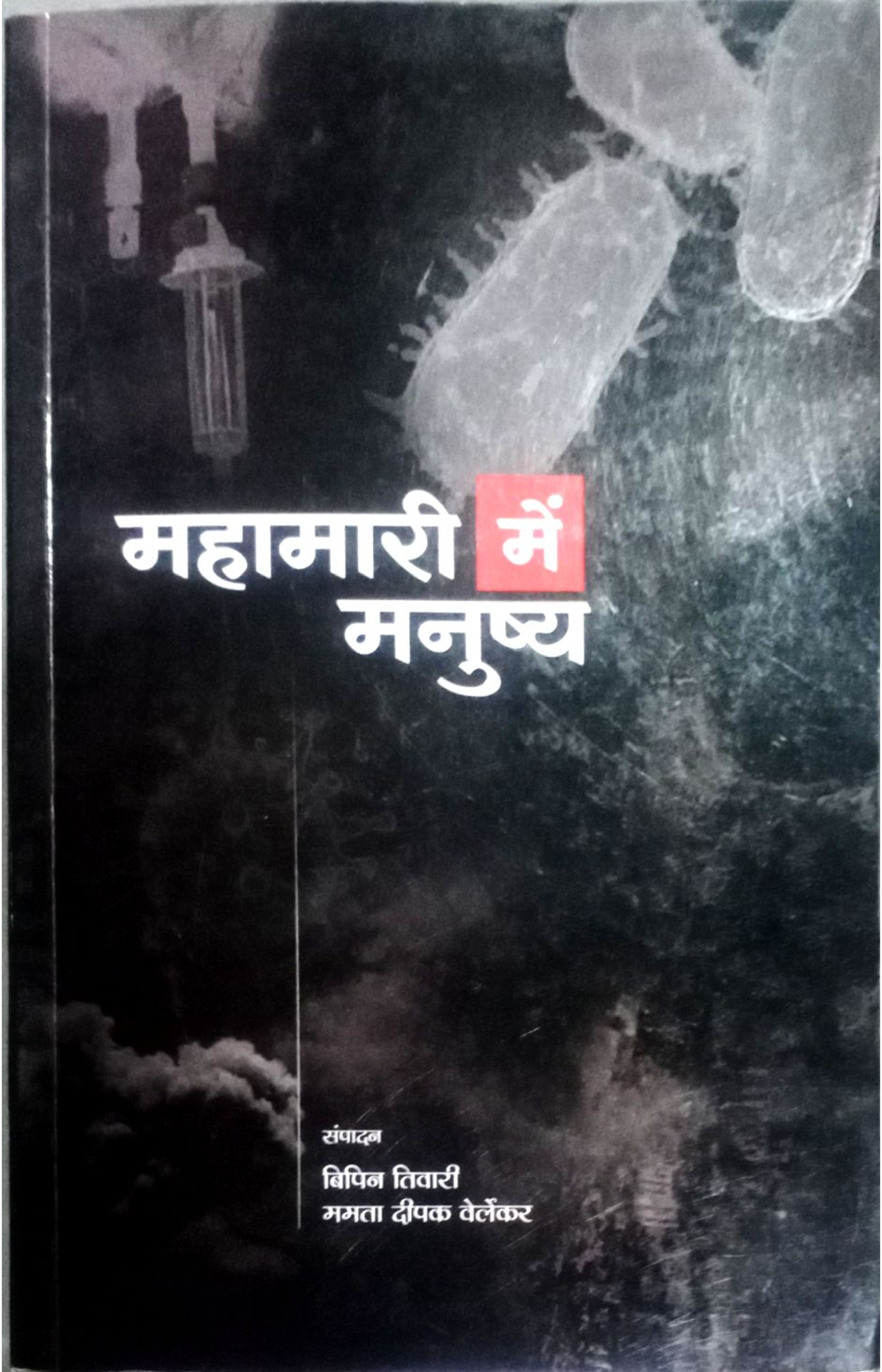
महामारी में
मनुष्य
संपादन
बिपिन तिवारी
ममता दीपक वेर्लेकर

महामारी में मनुष्य

संपादन :
विपिन तिवारी
ममता दीपक वेर्लेकर

महामारी में मनुष्य
MAHAMARI ME MANUSHA

संपादन:
बिपिन तिवारी, ममता दीपक वेर्लेकर

ईमेल : bipin.tiwari@unigoa.ac.in

प्रकाशक:
BROADWAY PUBLISHING HOUSE
ब्रॉडवे पब्लिशिंग हाउस,
रिझवी टॉवर्स, काकुलो सर्कल,
सांतइनेज़, पणजी-गोवा-403001

© लेखकों की ओर से संपादक

संस्करण : 2023

शब्द संयोजन : रिया ग्राफिक्स, ओल्ड गोवा

आवरण : दीप च्यारी

मुद्रक :

ISBN : 978-93-94548-08-4

केसरी में प्रकाशित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लेख

अनुवाद - डॉ. आरिफ शौकत महान

मुंबई में भयानक महामारी का बुखार
ब्यूबोनिक बुखार या ग्रंथियों का बुखार

फिलहाल मुंबई में जो खतरनाक बुखार की महामारी चल रही है इसके संदर्भ में आप पाठकों को हम जानकारी देने की सोच रहे हैं। मांडवी मुंबई शहर का एक घनी आबादी और गंदगी से भरा इलाका है। वहाँ की जनसंख्या लगभग 37000 है। वहाँ अनाज की बड़ी कोठियों के साथ गुजराती, वाणी(बनिया) एवं भाट समुदाय की बस्ती ज्यादा हैं। बड़ी-बड़ी सात मंजिली सामान से लदी इमारतों जिनमें लगभग हजार के करीब लोग रह सकें ऐसी चॉलों(छोटे-छोटे कमरे) की संख्या ज्यादा है। वाणी और भाट के अतिरिक्त बोहरी, खोजे, स्थानीय मुसलमान, कोंकण का मराठा समुदाय और कुणबी समाज की बस्ती भी वहाँ है। चूंकि यह क्षेत्र ज्यादातर मुंबई द्वीप के पूर्वी हिस्से में है, इसलिए इसे पश्चिम से चलने वाली समुद्री हवा से ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि इस शहर के पश्चिमी हिस्से में अरब सागर स्थित है और इनके दरम्यान शहर का बड़ा हिस्सा पहाड़ की तरह खड़ा है। यहाँ की गटर की नालियाँ ज्यादातर पुरानी हैं जिनमें से मल आसानी से बह नहीं पाता। गटर नालियों के निचले हिस्से में मल कीचड़ की तरह जमा रहता है। इस क्षेत्र में घूमने वालों को नालियों की दुर्गन्ध

का सामना करना पड़ता है। घनी आबादी वाले मुंबई शहर की सबसे घनी आबादी एवं गंदे लोगों की बस्ती वाला यह इलाका है। समुद्री हवा की कमी, गटर नालियों की खस्ता हालत आदि अनेक कारणों को ध्यान में रखें तो आसानी से पता चलता है कि इस महामारी की शुरुआत मांडवी से क्यों हुई? साथ ही विदेशों से व्यापारिक संबंधों का स्थान भी इस क्षेत्र के करीब है। स्वाभाविक है कि दूर देशों के संक्रामक रोगों का संपर्क पहले-पहल इन क्षेत्रों के लोगों से ही होगा। अधिकतम लोगों का मानना भी है कि वर्तमान में फैली महामारी हांगकांग या बगदाद देश से आयी है। मुंबई में, फैलती बुख़ार की महामारी को अंग्रेजी भाषा में 'प्लेग' या 'ब्यूबॉनिक फीवर' कहते हैं। इस बीमारी के बारे में पक्का नहीं कह सकते कि इसके पहले किसी को इसके बारे में मालूम था या नहीं।

इसका स्पष्ट वर्णन किसी संस्कृत ग्रंथ में भी नहीं मिलता। अग्निरोहिणी बीमारी के बारे में 'वाग्भट' में बताया गया है। इसके लक्षण प्लेग के बुखार से कुछ मिलते हैं। प्लेग के बुखार के लक्षण की बात की जाए तो आम बुखार की तरह सर्वप्रथम सरदर्द करना, बदन दर्द करना, सुस्ती, उदासी आदि लक्षणों के साथ तेज बुखार आना, उलटी करना और बेहोशी में बुदबुदाते रहना है। बुखार के हिसाब से उसी समय या कुछ समय बाद जांघ, बगल या गर्दन इनमें से किसी एक जगह या सभी जगह गाँठ पड़ जाती हैं जिसमें असहनीय दर्द होता है। यह गाँठ पक कर रिसती रहती है। इस बीमारी में बीमार बड़ा कमजोर हो जाता है। इस महामारी में कुछ बीमार तो चौबीस घंटों के अंदर ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। कुछ दो-तीन दिन में मर जाते हैं। कुछ पाँच-छः दिन में मर जाते हैं। इनमें से कुछ कम भाग्यवान ही जिंदा रह पाते हैं। इस महामारी में मरने वालों की संख्या का प्रतिशत कितना है यह प्रामाणिक रूप में उपलब्ध नहीं है। फिर भी वर्तमानपत्र और स्थानीय आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 100 में 75 है, ऐसा हमें लगता है। इस महामारी को मांडवी में फैले हुए लगभग एक महीना हो चुका है और इस एक महीने में चार सौ से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी होंगी,

ऐसा लगता है। ऐसी महामारी में जितनी जिम्मेदारी के साथ कार्यवाही होनी चाहिए और प्रतिदिन संक्रमित मरीजों एवं मृत मरीजों की संख्या की गिनती दर्ज होनी चाहिए वह मुंबई जैसे शहर में भी होते हुए नज़र नहीं आती, यह बड़े अफसोस की बात है। प्लेग बुखार के तेजी से फैलते ही मांडवी के एक-दो डॉक्टरों ने म्युनिसिपल कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर को दी थी। फिर भी इन दोनों अफसरों ने इस बात पर बहुत दिनों तक ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जैसे-जैसे हालात बिगड़ते गए, बहुसंख्यक लोग मर गए और महामारी के डर से अधिकतम लोग अपना घर-द्वार छोड़कर दूसरे शहर या मुंबई के साफ़ इलाकों में स्थानांतरित होने लगे। मांडवी में अफरा-तफरी मचने लगी और वहाँ डर एवं अस्थिरता का माहौल छा गया तब कहीं म्युनिसिपल अफ़सरों की नींद टूटी।

पिछले 12 दिनों में इन अफसरों में बड़ी सतर्कता नजर आ रही है। मीटिंग दर मीटिंग, कमेटी दर कमेटी बनाई जा रही हैं। सर्जन, जनरल, फिज़ीशियन आदि बड़े दिग्गज डॉक्टर सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। मुंबई के दैनिक समाचार पत्रों के प्रतिनिधि डॉक्टर लोगों की सहायता से घर-घर और गली-गली घूमकर बीमारी की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई म्युनिसिपल के खजाने से और मांडवी के जाम हुए नालों से गंदगी निकालने का काम जोरों से शुरू हुआ है। स्नानगृहों और नालों को साफ़ करना, रास्ते और घर के अंदर से कचरे को दूर करना घर के लोहे की पाइपों को हटाना और साफ करना, नए या पुराने मरम्मत किए हुए पाइपों को लगाना, रोग ग्रस्त क्षेत्र के घरों की सफाई, चूने का छिड़काव आदि सफाई से संबंधित काम बड़े पैमाने पर किए जाने लगे। इस काम के लिए फिलहाल मुंबई म्युनिसिपल ने एक लाख रूपये की मंजूरी दी है। अब तक यह बीमारी मांडवी के अतिरिक्त मुंबई की अन्य जगहों पर नहीं फैली। लोहारचौल, गिरिगाँव, खेतवाडी, वालकेश्वर आदि जगहों पर कम मात्रा में इसका असर दिखाई दे रहा है। इन जगहों के ज्यादातर मरीज मांडवी से स्थानांतरित लोगों में से ही हैं।

अब तक इस बीमारी से संबंधित जानकारी मुंबई तक सीमित थी। अब इसकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि को देखते हुए अन्य जगह के लोगों को इससे कितना खतरा है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? इस पर कुछ कहना जरूरी है।

हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्लेग बीमारी का कोई संदर्भ नहीं है यह हम पहले ही बता चुके हैं। साथ ही अग्निरोहिणी नामक बीमारी जिसकी जानकारी अपने वैदिक ग्रंथों में हैं। वह इस बीमारी का एक तत्कालीन स्वरूप हो सकता है, इसका भी इशारा किया गया है। प्लेग की तरह ही अग्निरोहिणी में बगल, जाँघ और गर्दन पर गाँठ निकलने के साथ बुखार आता था और इस असाध्य बुखार से बीमार पाँच से सात या पंद्रह दिन में मर जाता है, ऐसी जानकारी सुश्रुत आदि ग्रंथों में दी गई है। यहाँ तक कि दोनों बीमारियों में समानता है लेकिन चौबीस घंटों में मरीज का मरना, महामारी की तरह देशभर में फैलना यह लक्षण उस समय के प्लेग में नहीं थे, ऐसा लगता है। प्लेग महामारी का अब जैसा भयानक स्वरुप और इसका पूरे देश में फैलना इसे जाँचने के प्राचीन समय में वर्तमान जैसे अनुकूल साधन नहीं थे। इसलिए पटकी, प्लेग, देवी, गोवर आदि बीमारियों का प्राचीन काल में किया गया वर्णन प्लेग बीमारी से पूरी तरह अलग है। साथ ही तत्कालीन ग्रंथ लेखकों को इस बीमारी का महत्व अब जैसा मालूम नहीं हुआ होगा। हाल ही में मतलब पिछले ढाई सौ वर्षों के इतिहास में हमारे देश में प्लेग बीमारी के फैलने की जानकारी मिलती है। ई.सन् 1611 में पंजाब में महामारी वाली एक बीमारी की शुरुवात हुई थी। वहाँ से फैलते हुए वह एक-दो वर्ष में अमदाबाद तक पहुँची। यह महामारी आठ वर्ष तक नजदीकी प्रदेशों (लाहौर, दिल्ली, कश्मीर, कंदहार आदि) को तबाह करती रही। सन् 1683 के आस-पास यह लहर फिर अमदाबाद से शुरू हुई और सन 1689 में दक्षिण के वीजापुर में यह महामारी फैली। सूरत, दमन, वसई और ठाणे इन जगहों पर उस समय यह महामारी भयानक रूप में फैली थी। गाँव के गाँव नष्ट होने की जानकारी उस समय के इतिहास

में दर्ज है। सन् 1812 में अहमदाबाद में इस महामारी ने फिर से दस्तक दी। सन् 1818 में कच्छ के काठेवाड क्षेत्र में भयानक महामारी थी। उपरोक्त सभी महामारियों में वर्तमान महामारी की तरह गाँठ आती थी लेकिन उन महामारियों का स्वरूप अब की अपेक्षा भयानक था। सन 1836 में पाली, जोधपुर, अजमेर आदि जगहों पर प्लेग की महामारी फैली थी। जब-जब यह बीमारी मनुष्य में उत्पन्न होती है तब हजारों चूहे इसी बीमारी से मरे हुए नज़र आते है। मांडवी में फिलहाल हजारों मृत चूहे निकालने की प्रक्रिया शुरू है। अधिकांश लोगों का मानना है कि यह बीमारी चूहा, मुर्गी आदि छोटे जानवरों से होते हुए मनुष्य पर आक्रमण करती है। यह बीमारी सन् 1665 में कितनी भयानक थी इसकी जानकारी इंग्लैंड के इतिहास जानने वालों को है। ऐसा कहना गलत न होगा कि अब यह बीमारी विकसित राष्ट्रों से पूरी तरह गायब है। दुर्भाग्य से यह बीमारी मुंबई शहर में फैल रही है, इसका स्वरूप इतिहास में दर्ज पुरानी महामारियों के मुकाबले में कम भयानक नहीं है। ऐसा कह सकते हैं।

मुंबई शहर में प्लेग महामारी फैलने के समाचार, समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते ही कलकत्ता के नेताओं ने इस महामारी से अपने शहर के बचाव के उपाय के कार्य शुरू कर दिए। इस महामारी से बचाव को लेकर किसी ने सुझाव दिया कि मुंबई शहर से आने वाले या दूसरे बड़े-बड़े स्टेशनों-जबलपुर से आने वाले यात्रियों को बीमारी है या नहीं, यह जाँचने के लिए डॉक्टरों को बड़ी संख्या में तैनात किया जाए साथ ही जलमार्ग से आने वाले प्रवासियों पर भी नज़र रखी जाए। ऐसी विनती सरकार से कि जानी चाहिए। किसी ने सुझाव दिया कि बीमारी की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी बुद्धिमान डॉक्टर को मुंबई भेजा जाए। किसी ने सुझाव दिया कि गंदी नाली आदि को साफ़ करने के लिए बिना पैसे की चिंता किए, खर्च किया जाए। कलकत्ता और मुंबई के बीच पत्राचार एवं तार द्वारा ज्यादा से ज्यादा चर्चाएं हुईं। अतः कह सकते हैं कि कलकत्ता के प्रमुख नेता इस कार्य को करने में सक्रिय रहे। पुणे, नासिक, बड़ोदा,

सूरत, अहमदाबाद, नगर, सोलापुर आदि म्युनिसिपल वालों को अभी से सतर्क रहते हुए इस महामारी के संसर्ग से बचने के लिए गाँव और घरों की सफाई और सामान्य स्वास्थ्य नियमों के पालन हेतु कार्य करने की जरूरत है। साथ ही वहाँ के डॉक्टरों को सूचना दी जानी चाहिए कि मरीजों को जाँच करते हुए किसी अन्य तरह से या सीधे तौर पर मुंबई से उनका कोई संबंध है या नहीं, इसकी भी जाँच करने में कोताही न करें। अब हम इस लंबे होते लेख को विराम देते हैं। यहां के डॉक्टरों ने हमारे द्वारा लिखी गई बातों को अमल में लाना शुरू किया है। उनकी जाँच में मुंबई से आए हुए एक-दो मरीजों में वहाँ के बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने की जानकारी उन्होंने हमसे साझा की है।

महामारी के बुखार से बचने के लिए मुंबई सरकार द्वारा बनाये गये नियम

मुंबई सरकार ने मुंबई शहर और सैन्य शिविर के अलावा आजकल (इधर) फैली भयानक महामारी के प्रतिबंध के तहत सभी जिलों में लगाने हेतु जो नियम बनाये हैं, वह अन्य जगह प्रकाशित किए हैं। यह नियम हम लोगों के आचार-विचार के विपरीत हैं। कभी-कभी लगता है महामारी के प्रतिबंधित नियमों की तुलना में यह बुखार भला है। महामारी के इन कठिन प्रतिबंधित नियमों से ऐसा लगना बिल्कुल संभव है। साथ में सरकारी कर्मचारी अगर ज्यादा जुल्मी और लापरवाह हों तो सुश्रुत ने जिसे परित्याग कहा है इसके अलाव कोई और रास्ता नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। बड़े बड़े स्टेशनों पर डाक्टरों से जांच कराये बिना कोई चारा नहीं। सारांश यही है कि हर तरह से बीमारी को नष्ट करने की सरकार की मंशा है लेकिन इसके साथ बीमारी को जड़ से खत्म करते-करते कहीं गरीब, असहाय जनता ही बर्बाद न हो जाए इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। इस बीमारी के कारण और बीमारी का प्रसार इतना सूक्ष्म है कि वह सिर्फ़ मानव जाति की कोशिशों से ही खत्म होगा, ऐसा कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह

सकता। आजतक इस बीमारी की जो जानकारी मिली है उसके तहत संक्रमित मरीज का अन्य लोगों से संपर्क तोड़े बिना इस महामारी के प्रसार को रोकने का कोई दूसरा मानवीय उपाय नहीं है, यह सिद्ध हो चुका है। हमारे मित्र मि. घरत ने गुरुवार के टाइम्स समाचार पत्र में अलीबाग के नजदीक आवास गाँव में यह बीमारी कैसी फैली इसकी हकीकत बयान की है, जो गौर करने लायक है। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह इस महामारी के प्रसार की जांच-पड़ताल की जा सकती है वैसी शहरी क्षेत्र में संभव नहीं। खैर; मि. घरत लिखते हैं कि नवंबर माह में आवास गाँव में मुंबई से आये हुए एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई। उसके दो दिन के भीतर उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इस घटना को सुनकर नजदीकी गाँव से उनकी मां और दो बहनें आयी थी। वे महिलाएं अपने गाँव वापस जाने के बाद बुखार ग्रस्त होकर मर गईं। उसी दौरान गाँव के माली परिवार का एक गृहस्थ मुंबई से संक्रमित होकर आया और गाँव आते ही मर गया। कुछ दिनों बाद उसी गाँव की एक महिला दूसरे गाँव गई थी। वह भी वहीं मर गई। और वह जिस घर में रही थी उसके पड़ोसी का लड़का और लड़के की भाभी संक्रमित हो गये और दोनों की मृत्यु हो गई। इस उदाहरण से इस बीमारी का फैलाव कैसे होता है, समझा जा सकता है। पूना के अखाड़े में कुश्ती की मेहनत करने वाले चार-पाँच लड़के इसी बुखार से संक्रमित होकर दो-चार दिन में एक के बाद एक मर गए, यह भी एक उदाहरण है। स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि यह बीमारी निकट संपर्क से आहिस्ता-आहिस्ता फैलती है। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसी बीमारियों का इलाज करते समय इसके दो स्वरूपों पर ध्यान रखना जरूरी है। एक, बुखार ग्रस्त मरीज को ठीक करना, और उसके लिए चाहे फिर उसे नीला या लाल पानी पिलाया जाये। आज तक ऐसी बीमारियों से बचने की औषधि नहीं बनी लेकिन कभी अगर इसकी औषधि बन भी गई तब भी इस बीमारी का दूसरा पक्ष यानी महामारी के स्वरूप पर अलग से विचार करना आवश्यक है। क्योंकि वास्तविक रूप में इसका भयानक स्वरूप यही है। आज जितने लोग

बुखार ग्रस्त हुए हैं उतने पर ही इसे रोका गया तो इसके बचाव के इसी स्वरूप पर विचार किया जा सकता है लेकिन ऐसा संभव नहीं। किसी जगह बीमारी के सूक्ष्म विषाणु पहुँचे तो यह संक्रमण आहिस्ता-आहिस्ता आग की तरह फैलने लगता है और कुछ ही दिनों में घर, गाँव, शहर नष्ट कर डालता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीमार के संक्रमण के शुरुआत में ही उसे घर से बाहर निकालें, मुमकिन हो तो घर को जलाकर राख करने या घर खाली कर औषधि से छिड़काव कर धोकर साफ करने, इसके अलावा इस महामारी से बचाव का मनुष्य के पास दूसरा रास्ता ही नहीं, हम ऐसा कहने के लिए मजबूर हैं। भयानक बीमारियों का इलाज भी भयानक होता है, यह ध्यान में रखते हुए लोगों को व्यवहार करना चाहिए। यह सारी माथापच्ची महामारी के शुरुआती दौर की है। एक बार यह महामारी पूरे शहर में फैली तो उपरोक्त उपाय कारगर साबित होंगे ही, ऐसा नहीं। महामारी के विषाणु पूरे शहर में फैलेंगे तो उसकी चपेट में सब आयेंगें। ईश्वर की कृपा है कि परंपरागत संसर्ग से यह बीमारी एक दूसरे को नहीं होती। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मुंबई और यहाँ के अस्पताल में मरीज़ों की सेवा करते लोगों को ही लीजिए। इनमें से एक-दो को छोड़कर किसी को बुखार ने नहीं जकड़ा। इसका एकमात्र कारण यह है कि यह लोग केवल काम से संबंधित ही बीमार के संपर्क में रहते हैं और काम होते ही हाथ धोने या संसर्ग मुक्त करने वाले तरल पदार्थ का उपयोग करने जैसी सावधानियाँ बरतते हैं। संक्रमण होगा या नहीं यह हर मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर होता है। मरीज को जिस घर में रखा गया है और वह घर गंदा है तो उसके करीबी मनुष्य को संक्रमण जितनी जल्दी होगा उतना हवादार एवं साफसुथरे घर में नहीं होगा। मुंबई में ऐसे बहुत से घर हैं जिसके नज़दीक गंदी बस्ती या नज़दिक के बहुत सारे संक्रमित मरीज मर गये हैं लेकिन उन घरों के लोगों पर संक्रमण का असर नहीं हुआ है। इस बीमारी का फैलाव कई बार आस पास के व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है, यह ऊपर बताया गया है। इस संदर्भ में ऐसी भी घटना घटी है कि बुखार आए व्यक्ति

को महामारी का संक्रमण नहीं हुआ लेकिन उसके संपर्क में आये हुए कमजोर प्रकृति वाले व्यक्ति को संक्रमण हुआ है। शास्त्रनुसार यही बात कहें तो एक बार किसी गाँव या घर में संक्रमण का विषाणु पहुँचा तो उसका प्रसार उस संक्रमण विषाणु की तीव्रता, शहर की आबोहवा, घर और रास्तों की स्थिति, शहरों से यातायात के साधन और हर एक की प्राकृतिक क्षमता इन बातों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। इसलिए महामारी के संक्रमण की शुरुआत जहाँ से हुई है वहीं उसे नष्ट करने की और बाहर से पुनः संक्रमण न होने देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक बार महामारी फैली तो सिर्फ संक्रमित मरीजों को बाहर करें लेकिन बाकी घरों से निरोगी व्यक्तियों को बाहर निकालने से उसका असर ज्यादा होने की संभावना नहीं है। अतः ऐसे जुल्मी नियमों से फायदा होने के बजाय सभी लोगों को दस गुना कष्ट उठाना पड़ेगा, यह बात गौर करने की है। ऐसे समय में सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में से सभी नियमों का सख्ती से पालन करना कष्टदायक होगा। इस तरफ़ अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों के रीतिरिवाजों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना अच्छा नहीं। परसों पूना में तेली परिवार के घर की औरत को अस्पताल ले जाने के लिए दो अधिकारियों के साथ लगभग 50 कर्मचारी आए थे। वह औरत अस्पताल ले जाते ही मर गई। इतनी मेहनत का आखिर क्या फायदा हुआ? जो औरत दो घंटों में मरने वाली है वह जिस घर में दो दिन से रह रही थी वहाँ और दो घंटे रहती तो क्या बिगड़ता? ऐसी स्थिति में नियमों को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी अविवेकी एवं अपना अधिकार जताने के किए अति उत्साही बन जाते हैं, ऐसा कहना पड़ रहा है। किस समय किन नियमों पर ज्यादा ध्यान देने से लोगों को कष्ट कम और सार्वजनिक हित ज्यादा होने वाला है यह नियमों से स्पष्ट नहीं होता। सरकार को यह निर्धारित करने का अधिकार नियमों को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी को ही देना चाहिए। ऐसे समय में अधिकार मिले कर्मचारी को मनमानी करने की अनुमति मिली है ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा इस बात पर

भी ध्यान देना चाहिए कि मरीज या संभावित व्यक्तियों को घर से बाहर निकालने से पहले किसी अन्य जगह उनकी रहने की व्यवस्था की है या नहीं। उनकी व्यवस्था करना संभव नहीं है या की नहीं है तो इसका मतलब इन नियमों के पालन हेतु सरकार गंभीर नहीं। संक्रमित या संभावित व्यक्ति को अगर घर से बाहर निकालना ही है तो उनकी व्यवस्था के लिए सरकारी खर्चे से अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहले से तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति आने में देर नहीं लगेगी कि मरीजों को रेलगाड़ी से घसीटते हुए निकालकर स्टेशन के करीबी मैदान में मरने हेतु छोड़ना पड़ेगा और इस स्थिति का आना किसी जुल्म से कम नहीं। इसीलिए सरकार को हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि जहाँ कट्टरता से नियमों का पालन करना है वहाँ सबसे पहले खर्च की तरफ़ न देखते हुए व्यवस्था की जानी चाहिए। मुंबई और पूना शहर की स्थिति फिलहाल एक जैसी ही है। वहाँ संभावित बीमार को बाहर निकालने के लिए विशेष सख्ती की आवश्यकता नहीं है। जब तक इन दोनों शहरों के बीच परिवहन एवं संचार शुरू है तब तक पूना या मुंबई शहर से महामारी जाना मुश्किल है। इन दिनों शहरों की भयानक स्थिति के बावजूद उन जगहों के लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरुरत है जहाँ अभी संक्रमण नहीं फैला है। महाराष्ट्र के अन्य शहरों की अपेक्षा पूना शहर साफ़ है लेकिन मुंबई से आकर यह बीमारी यहाँ फैल रही है तो नासिक, नगर, सातारा आदि शहर इस महामारी से बचने के लिए जितनी भी कोशिश करें उतना कम है। हमें पता है कि सब ईश्वर की मर्जी है फिर भी ऐसी बीमारी को रोकने हेतु हर एक को खुद से जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। यह खुशी की बात है कि सरकार भी प्रयासरत है लेकिन यह प्रयास करते समय लोगों को कम कष्ट हो ऐसी व्यवस्था अफ़सर करते हैं या नहीं इस तरफ़ ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो सरकार एक जगह की आग बुझाने में लगी रहेगी और दूसरी तरफ आग जोर पकड़ लेगी।

महामारी के बुखार का प्रसार बंद करने हेतु नई योजना

पिछली बार इस बुखार के संबंध में लिखते हुए हमने लिखा था कि, यह बुखार सिर्फ गंदगी से नहीं होता और न ही गंदगी हटाने से चला जाता है। गंदगी सिर्फ उसके प्रसार एवं संसर्ग बढ़ाने में सहायक बनती है। गंदगी के अलावा बहुत सी बातें, गंदगी जितनी ही इसके बढ़ाने में प्रसारक की भूमिका निभाती नज़र आती हैं। किसी गंदे घर में इस बीमारी का संक्रमण हुआ तो इसे पूरी तरह नष्ट किए बिना वह वहाँ से जड़ से खत्म नहीं होता। इस वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि महामारी के समय घर छोड़कर गए लोग जब महामारी का असर खत्म होते अपने घर लौटे तब फिर से महामारी के विषाणु से संक्रमित हो गए। हांगकांग में इसी तरह सन् 1894, 95, 96 इन तीन वर्षों में महामारी की लहर तीन बार आई और गई। वर्तमान की इस महामारी को दूर करने के प्रयासों पर नज़र डालें तो पूना, मुंबई की कहीं वही स्थिति न हो जाए, ऐसा डर सताता है। लोगों को दो बातों का पूरी तरह से ध्यान में रखने की जरूरत है। 1) इस बुखार का जीवित विषाणु गाँव या घर में बाहर के किसी न किसी साधन से प्रवेश करते ही वहाँ की नम हवा, अँधेरा, सीलन भरा स्थान और गंदगी से वहाँ पनपता है और वहीं बस जाता है। 2) इस विषाणु का समूल नाश चाहते हैं तो सिर्फ पूरे गाँव की गंदगी दूर करने से काम नहीं चलेगा बल्कि बुखार के संक्रमण से जितना हो सके उतना बचना आवश्यक है। इस तरह संसर्ग विरहित होना इसे अंग्रेजी में सेग्रिगेशन (Segregation) कहते हैं। इसके इलाज में जो स्थान त्यागने की बात कही गई है उसका कारण यही है। परसों ही यहाँ एक ऐसी घटना घटी कि एक घर में दो स्त्रियाँ संक्रमित हुईं। उन्हें अस्पताल ले गए; लेकिन बाकी सदस्यों को उसी घर में रहने देने की वजह से दो पुरुष और संक्रमित हुए और पूरा घर इस बीमारी की चपेट में आ गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अब किसी घर में इस बीमारी का विषाणु पहुँचता है और वह घर बड़ा नहीं है तो इस बीमारी के संसर्ग से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, यह सिद्ध हो चुका है। ज्यादातर मुंबई

अब साफ़ हो चुकी है। नालियाँ, सीवर पूरी तरह से साफ़ किए गए हैं। अगरचे कहें कि मुंबई की आँत भी बाहर निकालकर साफ़ की गई है तो भी उचित रहेगा। फिर भी महामारी की तीव्रता पहले जैसी ही सशक्त है। अब भी कहने का कारण यही है कि पहले हर रोज़ बुखार से मरने वालों की संख्या सवा सौ से डेढ़ सौ तक थी और कुल मिलाकर मरने वालों की ढाई सौ तक थी अब सौ से दो सौ तक पहुँच गई है। फिर भी यह संख्या बीमारी कम होने की वजह से हुई या मुंबई के आठ लाख बस्तियों से पाँच लाख लोग बाहर जाने की वजह से हुई यह निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता। पूना में तो हर रोज औसतन साठ से पैंसठ लोग मर रहे हैं और उनमें से चालीस लोग प्लेग बुखार से मर रहे हैं, ऐसा पिछले साल की औसत मृत्यु दर को देखते हुए पता चलता है। इस संकट के निपटारे के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। मुंबई को साफ़ करने में 6 महीने बीत गए फिर भी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए गवर्नर साहब ने दूसरी योजना कार्यान्वित करने की बात कही है। वह योजना क्या है यह उन्होंने मुंबई म्युनिसिपल के प्रेसिडेंट को और इस महामारी से निपटने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष जनरल गॅटेकर को जो पत्र भेजे हैं उसमें बताई है। यही व्यवस्था पूना में भी कार्यान्वित करने के लिए गवर्नर साहब ने कुछ प्रमुख लोगों को बुलाकर कहा है। यह नई व्यवस्था क्या है इसके बारे में खुलासा करना यहाँ जरूरी है।

नयी व्यवस्था

नयी व्यवस्था कुछ ऐसी है कि प्रथम यह कार्य कुछ सरकारी अफ़सरों को दिया जाएगा। मुंबई के लिए एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक म्युनिसिपल कमिश्नर और एक सैन्य अधिकारी की समिति बनाकर उन्हें सारे अधिकार दिए जायेंगे और पूना के सारे अधिकार मिस्टर रैंड को सौंप दिए गए हैं। अब दोनों ओर के नगर निगमों का इस मामले में कोई अधिकार नहीं रह गया है लेकिन रोजमर्रा की दिया- बाती और सफाई नगर निगम ही करेंगे।

यह अधिकार उनसे छीना नहीं गया है। अब महामारी के निपटारे से संबंधित सभी योजनाएँ कमेटी की ओर से ही बनाई जायेंगी। सरकार को म्युनिसिपल की क्षमता पर इस वजह से संदेह है, ऐसा कोई न समझे। यह गवर्नर साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा है। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अब ग्रंथिक बुखार की महामारी के इलाज का कार्य सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, यह भारत सरकार के लिए अहम कार्यों में से एक बन गया है। सारांशतः यह निर्णय नगर निगम को बुरा लगने का कोई कारण नहीं है। ऐसा गवर्नर साहब का कहना है। अब नयी कमेटी और पूना के महामारी प्रबंधक प्रमुख मिस्टर रैंड इनको क्या करना है, यह देखते हैं। गवर्नर साहब का यह पक्का विश्वास है कि अगर इस महामारी को प्रतिबंधित न कर उसे प्रसारित होने दिया गया तो यह कभी खत्म नहीं होगी। इसके लिए सरकार का प्रथम प्रयास इसके संसर्ग को रोकना है। इसलिए प्लेग से ग्रसित बीमार को घर से निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराना और संक्रमित घरों के लोगों का मिलना-जुलना बंद करना बेहद जरूरी है। अस्पताल वाले बीमार की सेवा ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं, यह रिश्तेदार अस्पताल जाकर खुद देख सकते हैं या उनका खयाल रख सकते हैं। साथ ही कोई समुदाय या प्रतिष्ठित लोग मिलकर स्वतंत्र अस्पताल का निर्माण कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। गवर्नर साहब का यह भी कहना है कि संक्रमित बीमार की सेवा के लिए प्रस्तुत व्यक्ति या कोई रिश्तेदार जो उसके संपर्क में आया है या उसके कमरे में गया है, उसके संक्रमित होने की ज्यादा संभावना है। अतः ऐसे लोगों को कुछ दिन अलग रखकर ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इससे बीमारी का ज्यादा प्रसार नहीं होगा। इन दोनों बातों को अमल में लाने के बाद तीसरी अहम बात यह है कि सरकार को पहले पता हो कि बीमारी कहाँ है। इसलिए दो-चार दिन में घर-घर जाकर जाँचने के लिए टीम बनाई जाएगी। यह टीम मनमाना जुल्म ढायेगी ऐसी शहर में चर्चा है लेकिन यह पूरी तरह से झूठ और निराधार है। लोगों की जाँच इसलिए की जायेगी जिससे अब कोई घर में किसी बीमार को छिपाकर न रख सके।

कोई बीमार व्यक्ति छिपा कर रखता भी है तो उसे जबरन घर से निकाला जाएगा। जाँचने वाली टीम को गवर्नर साहब के सख्त निर्देश हैं कि जाँचने में किसी को व्यर्थ कष्ट न दें। स्त्रियों की जाँच करने में कोई पुरुष हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा सख्त नियम है। इसके लिए स्त्री डॉक्टरों की अलग से नियुक्ति होगी। साथ ही घर के किसी भी हिस्से में जाकर घर के लोगों की भावनाओं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की सख्त मनाही टीम के सदस्यों को खुद गवर्नर साहब ने दी है। जब हर घर की जाँच की जाएगी तब उस वार्ड या गली के प्रमुख व्यक्तियों को साथ लिया जाएगा। सारांश यही है कि महामारी से संक्रमित बीमार को अस्पताल ले जाना, उसके निकट संपर्क में आने वालों को कुछ दिन अलग रखना यह काम अवश्य करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की ज्यादती या लोगों के रीति-रिवाजों को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। ऊपर जो बातें बताई गई हैं वह लोगों की भलाई के खातिर ही हैं। इस परिस्थिति से न घबराते हुए लोग अपना घरबार छोड़ कहीं न जाए, यह गवर्नर साहब कि इच्छा है। इतना ही नहीं जन-प्रतिनिधि भी इस काम में सरकार की सहायता करें, आम जनता के संदेहों का निराकरण करें। इसके प्रति उन्हें आश्वस्त कराते हुए कि उन पर कोई ज़ुल्म नहीं होगा। सरकार द्वारा बनाए नियमों का महत्व समझाएँ और उसके पालन भी करें। लोक प्रतिनिधियों से यह उनकी विनती है।

गवर्नर साहब ने जो निवेदन किया है इसके लिए लोगों को उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। वैसे, जैसे यह सूचना जन-प्रतिनिधियों को दी गई है वैसे ही सरकारी अधिकारियों को दी गई हो तो अच्छा। नहीं तो इधर लोग सरकार से सहायता की उम्मीद करते रहेंगे और सरकारी कर्मचारी ही उन नियमों की अवहेलना करते रहेंगें। लोगों से ठीक ढंग से बात ही न करेंगे तो जो कार्य करना है वह कभी नहीं हो पायेगा। पूना में हिंदू समाज के लोगों के लिए जो अस्पताल बनवाना था वह उस जगह पर ही बने जहां उन्होंने बताया था। ऐसा अधिकारियों का आग्रह था, यह बात शायद ही

गवर्नर साहब को मालूम होगी। पहले वाले विदेशी कर्मचारी सरकार और लोगों के हित के काम, लोगों से मिलजुलकर ही आगे बढ़ाते थे। आज यूरोपियन कर्मचारियों में उनके जैसी बुद्धिमत्ता नजर नहीं आती, यह बड़े खेद की बात है। वैसे व्यवस्था के बिगड़ने के कारण यही है। गवर्नर साहब ने जिस पद्धति से कार्य करने को कहा है अगर वैसा होता तो किसी को आपत्ति नहीं होती लेकिन सरकारी कर्मचारियों की ओर से व्यवस्था वैसी ही होगी इस पर लोगों को संदेह है। और उनका यह संदेह निराधार है, यह हम नहीं कह सकते। गवर्नर साहब के अनुसार बरसात शुरू होने से पूर्व यह महामारी पूरी तरह नष्ट हो जाए यह सिर्फ हमारे बस की बात नहीं रही लेकिन जितने उपाय हो सकें उतने करने ही होंगे। यह उपाय दो प्रकार के हैं- एक लोगों से मिलजुलकर काम करें दूसरा ज़ोर-ज़बरदस्ती कर। हमारे गवर्नर साहब की इच्छा एवं निर्देश पहले उपाय पर काम करने के ही है। इस निर्देशानुसार सरकारी कर्मचारियों का महामारी को दूर करने का काम लोगों की सहायता से पूरा होगा और यह पूरा होने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, ऐसे हमारा पक्का विश्वास है। वैसे यह बीमारी किसी को भी नहीं चाहिए। बीमारी से ज्यादा लोग सरकारी कर्मचारियों की कार्यपद्धति से डरते हैं। अगर गवर्नर साहब के निर्देशानुसार लोगों की सहायता से सरकारी व्यवस्था कार्य करे तो किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं रहेंगे। आज तक किसी पर कोई जुल्म नहीं हुआ है। हमारे अनुसार हाल ही में हजारों लोग जो गाँव छोड़ कर चल गये वह मूर्खतापूर्ण है। गवर्नर साहब के निवेदन को ध्यान में रखते हुए जो लोग गाँव छोड़कर गए हैं वह वापस आकर अश्वत्थामा के- यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योर्भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्। उक्ति के अनुसार यहीं संसर्ग से बचने के उपायों पर ध्यान रखते हुए ईश्वर पर भरोसा रखें यही अच्छा। गवर्नर साहब मुंबई से यहाँ आकर इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि बिना वजह किसी पर जुल्म नहीं होगा। तो कम से कम जब तक किसी पर जुल्म नहीं होता तब तक उन पर संदेह करना अनुचित होगा। परसों तक गाँव के बाहर जितने लोग गए उनमें से होलकर

दंगों के वक्त भी नहीं गए ऐसा क्यों लगता है। फिर इसे बढ़ती मायूसी का असर कहें या अज्ञानता एवं गलतफहमी का।

आजकल पूना में हो रही हलचल

महामारी की वजह से आजकल घर के कपड़े आदि वस्तुओं को जलाकर जो आज होली जलाई गई है उससे लगता है कि शिग्मोत्सव का त्यौहार आठ-दिन पहले ही शुरू हो चुका है। सरकार ने शहर से इस बीमारी को जड़ से दूर करने का संकल्प किया है और गवर्नर साहब ने पिछले हफ्ते जो सरकार द्वारा की जाने वाली व्यवस्था के बारे में बताया था उसे कार्यान्वित हुए आज दो दिन हो चुके हैं। गाँव में सोजीर(फिरंगी सेना) के जांच के नाम पर एकाएक घर में घुसने को लेकर जो डर और बेचैनी लोगों के मन में थी अब वह कम हो गयी होगी। हमें अभी तक यह समझ में नहीं आया कि यह काम फिरंगी सेना को क्यों दिया गया? गवर्नर साहब के भाषण में यह काम करने के लिए फिरंगी सेना के लोग आएंगे इसका कोई उल्लेख नहीं था और मुंबई में भी यह काम करने के लिए भी सोजीर नहीं लाये गये। पूना में ही यह काम करने के लिए इन लोगों को बुलाया है। लगता है यह कल्पना किसी कनिष्ठ अधिकारी के दिमाग की उपज है। खैर; यह संतोष की बात है कि सोजीर काम करने के लिए आए हैं और नियमों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। कुछ जगह रसोई घर में पहुँच सोजीर लोगों ने छुआछूत की है ऐसी अफवाह है। लेकिन हमने जो अनुभव किया है उस आधार पर यह सच है, हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। इस संदर्भ में सैनिकों के साथ जो नेटिव गृहस्थ जाते हैं यह उनकी गलती है। गवर्नर साहब ने सभ्य गृहस्थों को गृह निरीक्षण करने वाले लोगों के साथ जाने की विनती इसलिए की थी कि नेटिवों के घरों में ये जाएं तो कैसा व्यवहार करें यह समय-समय पर इन लोगों को बताएँ और अगर यह काम इनसे सही ढंग से नहीं हो रहा तो इनकी नियुक्ति व्यर्थ की गई, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे समय में कम से कम घर के मालिक को आगे आकर इस बवंडर को

ठीक से अपने घर से दूर कर देना चाहिए। संक्षेप में घरवाले अथवा सरकार द्वारा नियुक्त सभ्य गृहस्थ निरीक्षक यदि अपना कार्य ठीक से करते हैं तो सोजिरों से किसी प्रकार की परेशानी होने की संभावना नहीं रहेगी। अब घर में सोजिर आयें या ना आयें ये अलग मुद्दा है। इसपर हमारी राय ऊपर बताई गई है। जिस बात को टालना असंभव है उस बारे में ज्यादा सोच विचार न करते हुए इस प्रसंग से सही सलामत कैसे निपटें इतना ही हम लोगों को आज देखना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में जो नरमी है वह सब गवर्नर साहब के शिष्टाचार एवं आदेश का फल है यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है। इसलिए हम सभी लोगों की ओर से गवर्नर साहब का धन्यवाद करते हैं। गवर्नर साहब ने जो परामर्श पद्धति शुरू की है उसे पूर्णतः अमल में लाने हेतु गाँव के सभ्य गृहस्थों को निरीक्षण के लिए आये हुए सोजरों के साथ जाने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। इन्हीं के भरोसे गवर्नर साहब ने परामर्श के साथ निरीक्षण करने का आदेश दिया है। अतः हमारे लोगों की लापरवाही की वजह से सही ढंग से निरीक्षण नहीं हुआ तो उसका दोष हम पर ही आएगा। यह उन लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। वैसे सोजरों को यह कार्य सौंपने की जरूरत नहीं थी। इतना ही नहीं वैसा करना सही भी नहीं था लेकिन इसको लेकर अब झगड़ने से कोई फायदा नहीं। गवर्नर साहब ने जो व्यवस्था बनाई है और रँड साहब ने उसे कायम करना स्वीकार किया है। इसका हमें अधिकतम लाभ उठाना होगा और हमारे जन-प्रतिनिधि यह लाभ उठाने में नहीं चूकेंगे, इसकी हम आशा करते हैं।

यह बात लोगों के नजरिए से हुई। अब बात करते हैं व्यवस्था की। हमारे विचार से अभी जो चल रहा है, वह बदहाली है। घुड़सवार, गोरे और काले सिपाही, ऑफीसर, पुलिस, सभ्य गृहस्थ के जत्थे इकट्ठा होते, इनकी रिपोर्ट करने के अलावा और कोई उपयोग नहीं। यह सब किसलिए? यह इसलिए कि हिंदू लोग अपने घरों में बीमार को छिपाकर रखते हैं और उस बीमारी को फैलाने का काम करते है। उनका यह उद्देश्य सही है, ऐसा मान भी लें तो इस उद्देश्य को सफ़ल बनाने के लिए इतने तामझाम की

बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। हिन्दू लोग बीमार को घर से बाहर निकालने के पक्ष में नहीं होते इसलिए डर के मारे वह बीमार की जानकारी छिपाते हैं। बीमार को छिपाकर रखा है इसका मतलब यह नहीं कि मुर्दे को छिपा रखा है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसा नियम बनाते कि, 'जिस घर में बीमारी की जानकारी दिए बगैर कोई बीमार मरा तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी' तो आज तक के सारे काम नियम से होते। इस काम के लिए न ही सोल्जरों की जरूरत थी और न ही जांच के नाम पर घरों में तोड़फोड़ करने की। लेकिन जैसा कि हमारे बुद्धिमान अंग्रेज कर्मचारियों को हमारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम ठहरे सबसे गरीब इसलिए हम पर ये प्रसंग आते ही रहते हैं, इससे राहत मुश्किल है। खैर; घर की तलाशी कार्य से संबंधित हमारे पास एकाध सूचना है, जो इस तरह है, अभी घर की तलाशी का कार्य सारे एक जगह इकट्ठा होकर करते हैं। वैसा न करते हुए कर्मचारियों की टोली बनाकर उन्हें घर बाँट दिए जाएं तो घर की तलाशी का कार्य कम समय में बेहतर और बिना शोर-शराबे के होगा। नगर निगम से अब सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। अतः नई प्लेग कमेटी इन बातों पर विचार करेगी ऐसी हमें आशा है।

दूसरा कष्टदायक काम यह है कि जिस घर में महामारी के बुखार की बीमारी से कोई मरा हो तो उसका घर और उसकी इस्तेमाल की गई चीजों को नष्ट करना। इस काम में अभी भी लापरवाही दिखाई देती है। महामारी में मरे हुये व्यक्ति के घर पर एक खड़ी लाल रेखा खींच दी जाती है। घर को साफ करने वाली पार्टी आकर उसे औषधि जलाकर धुआँ देकर जायेगी और फिर चूना डालने वाली पार्टी आकर घर साफ़ करेगी। यह दोनों पार्टियां अपना काम करते ही खड़ी रेखा पर दो तिरछी रेखा खींच देंगी ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस घर में एक लाल रेखा खींची गई है उस घर की सभी वस्तुओं को जलाना चाहिए, ऐसा कोई आदेश नहीं लेकिन जिस कमरे में बीमार मरा है उस कमरे की सारी चीजों को जलाना आवश्यक है। अतः घर के मालिक को खुद सफाई कर्मचारियों को वे सभी

मरीज द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं दिखानी चाहिए या फिर कमरा साफ किया गया है यह निरीक्षकों को दिखाना चाहिए। साथ ही मिलकर बीमार के द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को जलाकर उस कमरे को कुछ दिन के लिए खाली रखना यही सबसे अच्छा तरीका है। फिर चाहे वे किसी भी तरह साफ करें उससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कमरे में कोई नई चीज रखी है तो उसकी भी जलकर राख होने की संभावना है, यह लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे समय में कुछ कीमती वस्तुओं की चोरी-चकारी होने की संभावना भी है और एक दो जगह इस तरह की घटनाएं घटी भी हैं। यह हमारे सुनने में आया है। ऐसे समय में जिस जगह के लोग अपने घरों को ताले लगाकर गांव के बाहर गए हैं उनके घरों को उनकी गैर मौजूदगी में खोलते समय उस घर की वस्तुओं की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को लेनी चाहिए। वरना प्लेग के नाम पर यह काम चोरी को बढ़ावा देने वाला होगा। कुछ जगह पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है परंतु जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी अब तक नहीं हुई। प्लेग का स्वरूप दिन-ब-दिन भयावह होता जा रहा है। आधे से ज्यादा पूना शहर खाली हुआ है। पिछले हफ्ते एक दिन में कुल मरे हुए लोगों की संख्या 84 थी। मतलब मुंबई से पूना में महामारी का प्रभाव डेढ़ गुना ज्यादा है, ऐसा लगता है। इस भयंकर महामारी को रोकने के लिए सख़्त उपाय करने की जरूरत है, यह स्पष्ट है। गवर्नर साहब के कहे मुताबिक इन उपायों को अमल में लाते समय लोगों के रीति-रिवाज, धार्मिक भावना और उनकी संपत्ति का संरक्षण होना चाहिए और वैसा होगा इसकी हमें आशा है।

पूना की वर्तमान स्थिति

आज तीन हफ्ते हो गए। इन दिनों पूना के लोग प्लेग से ज्यादा प्लेग के प्रसार को रोकने की व्यवस्था से परेशान हुए हैं। जो लोग गाँव छोड़कर जा सकते थे उनमें से ज्यादातर लोग गाँव छोड़कर चले गए और जो गाँव में रहे वह अब इस इंतजार में हैं कि जुल्म के ये दिन कब खत्म होंगें। गवर्नर

साहब के भाषणों में गरीबों के प्रति हमदर्दी देख अच्छा लगता है। जिस तरह कीर्तन सुनकर घर आने के बाद पुराणों की बातें पुराणों में कहने का प्रसंग आता है उसी तरह स्थिति आज की व्यवस्था देख कर होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों को रोज़ इस तरह परेशान करने की बजाय डॉ. हाफ़किन के मतानुसार सरकार कठोर बनकर लोगों को प्लेग इंजेक्शन दे दे तो सारी समस्या ही ख़त्म हो जाये। हमें इसमें निराशा का स्वर सुनाई दे रहा है लेकिन इस परिस्थिति में खुद को पाना यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्लेग के संक्रमण को रोकने के लिए बीमार को अलग रखना चाहिए और जिस घर में बीमारी फैली हो उसे संक्रमण रहित उपायों के साथ धोकर साफ़ किए बगैर वहाँ कोई नहीं रहे, यह तो नियम वर्तमान आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से एकदम सही है। इससे हम सहमत हैं। कई उदाहरणों से हमने यह अनुभव किया है कि मर्की का बुखार किसी के घर में प्रवेश करता है तो उस घर को धोकर साफ़ किए बगैर वहाँ से हटता नहीं। ऐसे घरों को साफ करने का सरकार ने प्रबंध किया है, उसके लिए सरकार को दोष देने की हमारी कतई इच्छा नहीं है। अब तक के इतिहास को ध्यान में रखते हुए यह बात स्पष्ट नजर आती है कि इस बीमारी का प्रसार गरीब लोगों में सबसे ज्यादा होता है। इसका कारण है उनके घर, जो जितने हवादार, साफ सुथरे होने चाहिए उतने नहीं रहते। इसलिए गरीब लोगों के घर में बीमारी फैली तो उन्हें घर से दस-पाँच दिन बाहर रहने के लिए कह कर घर को साफ़ कर, फिर उन्हें वापस वहाँ रहने के लिए दिया जाता है। सरकार ने गरीब लोगों के लिए यह जो व्यवस्था की है वह गरीब लोगों के लिए हितकारी है। इसे कोई नकार नहीं सकता। प्लेग की बीमारी किसी को नहीं चाहिए लेकिन इसलिए प्लेग से भी ज्यादा जुल्म सहने के लिए लोग तैयार नहीं है। प्लेग का बीमार मिला तो उसे अस्पताल तक पहुँचाना और वह जिस घर में मिला है उस घर को साफ करना ये दोनों बातें सार्वजनिक आरोग्य हेतु आवश्यक है, यह हमने ऊपर लिखा ही है। लोगों के रीति-रिवाजों को ध्यान में रखें तो लोग जानबूझकर रुकावट नहीं डालते। इस पर

किसी को आश्चर्य लगना या गुस्सा आने का कोई कारण नहीं। लोगों की परंपरागत समझ जब तक नहीं बदलती तब तक प्लेग के बीमार को घर में छिपाकर रखने से घर के और पड़ोस के लोगों को उनसे खतरा है। यह जब तक वह पूरी तरह से नहीं समझते तब तक उनको पूरा दोष उन्हें देना या अगर उन लोगों ने बीमार को छिपाकर रखा है इसलिए उनको दंडित करना सही नहीं। सरकार को जो काम करना है वह लोगों को समझाकर उनकी असुविधा को समझकर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम वर्तमान व्यवस्था को ही लेते हैं। बीमार को घर से बाहर निकालना सरकार को जरूरी लगता है तो जरूर निकाले लेकिन जिस अस्पताल में उसे भेज रहे हैं उस अस्पताल पर लोगों का विश्वास होना चाहिए अगर ऐसी व्यवस्था हो तो कोई परेशानी का कारण नहीं। यहाँ लोग बीमार व्यक्ति को नए बनाए गए गये हिंदू अस्पताल में फीस देकर भेजते हैं और वहीं किसी सरकारी अस्पताल जाने का प्रसंग आया तो कुएँ में कूदकर जान दे देते हैं। इस आधार पर कैसी व्यवस्था करें; जिससे अस्पताल लोकप्रिय हों? वैसे यह समझना इतना भी मुश्किल नहीं। दूसरी बात घर साफ करने की। जिस घर में बीमार मिले वह घर साफ किए बगैर वहाँ लोगों को रहने नहीं दिया जा सकता यह हमें स्वीकार है। लेकिन इसकी कार्यवाही के समय उस घर के लोगों को शहर के बाहर जाकर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और घर के मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था हेतु समय देना पड़ेगा। सारांश यही है कि सरकार को जो दो बातें करनीं हैं उसकी कार्यान्विति सख्ती से करे, यह उनका कर्तव्य है। साथ में इन दो बातों के अलावा बाकी की बातों में लोगों को सहूलियत देने की आवश्यकता है। गवर्नर साहब के भाषण का मुख्य मुद्दा यही तो था लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था की नहीं जा रही यह खेद की बात है। प्लेग को रोकने हेतु जो उपाय डॉक्टरों ने सरकार को सुझाए हैं उन्हें अमल में लाते समय लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत जुल्म होगा क्योंकि यह उपाय ही जालिम है। किसी भयंकर बीमारी पर जिस प्रकार सोमली इलाज किया जाता है वैसे ही प्लेग के लिए जालिम उपाय

चाहिए। लेकिन सोमली का इलाज करने के बाद जिस तरह से ठंडे पानी से नहाने के लिए कहते हैं उसी प्रकार सोमली जैसे किसी उपाय को अमल में लाते समय इलाज करने वालों को उससे संबंधित सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नहीं तो सोमली का उपचार देने के बाद ठंड की जगह उसे चैत्र वैशाख की दोपहर धूप में रखने जैसा प्रसंग आएगा।

महामारी के बुखार के प्रसार को खत्म करने के लिए फ़िलहाल गाँव में जो व्यवस्था है वह तीन तरह की है। 1) घर-घर जाँच कर संक्रमित बुखार के बीमार को खोजकर उन्हें अस्पताल पहुँचाना और बीमार से संबंधित घर वालों को घर से बाहर निकाल कर दस दिन तक दूसरी तरफ़ रखना। 2) जिस घर में बीमार मिला हो उस घर को धूपी देकर साफ़ करना और 3) धूपी देकर उस घर को चूने से पोत देना, यह तीन काम फ़िलहाल गोरे अंग्रेज सोल्जरों की टोलियों से करवाया जाता है। यह काम करनेवाले गोरे सिपाहियों को प्लेग कमेटी ने निर्देश दिए हैं और इन निर्देशों को प्रकाशित भी किया है। इन निर्देशों के अनुसार सिपाही काम करते हैं या नहीं, यह हर घर वालों को देखना चाहिए। जहां सिपाहियों की तरफ से काम में कोताही होती है तो यह जानकारी तुरंत बड़े अफसरों तक पहुँचाये। इस संबंध में नियम तो अच्छे बनाए गए हैं लेकिन वह जैसे कार्यान्वित होने चाहिए वैसे नहीं हो रहे, यह बात प्रसिद्ध है। उदाहरण के तौर पर बहुत सी जगहों पर सिपाही लोग रसोईघर, पूजास्थल में घुस जाते हैं। जिस जगह आदमी या मृत शरीर के होने की संभावना तक नहीं, ऐसे छोटी जगहों को भी तोड़ा जाता है। उसी तरह से बीमार के बिस्तर के साथ कपड़े और वस्तुओं को जलाने के उदाहरण भी बहुत हैं और बहुतों को बिना कारण सेग्रिगेशन कैंप या अस्पताल में पहुँचाया गया है। बहुत सी जगहों पर घर की जाँच करते या साफ करते समय माल की चोरी की खबरें सामने आई हैं। यह बिना वजह होती चोरी-चकारी और निरोगी व्यक्तियों को दबोचने वालों पर कार्यवाही करने का प्रयास अधिकारियों को करना चाहिए। फिर चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। लोगों की सेवा के लिए अधिकारी वर्ग है। अधिकारियों के सुख के लिए ब्रह्मदेव ने लोगों को

जन्म नहीं दिया, यह बात हर अधिकारी को ध्यान में रखने की जरूरत है।

अब तक कार्यान्विति कैसी हो इस पर चर्चा हुई। अब नियमों में क्या बदलाव करना चाहिए वह देखें। इस संदर्भ में चार-पाँच लोगों का एक डेप्यूटेशन रँड साहब के पास पिछले शुक्रवार गया था। उन लोगों ने आम लोगों को तीनों नियमों से क्या कष्ट सहना पड़ता है यह बताया और उन्हें दूर करने का अनुरोध किया। लेकिन इन समस्याओं को दूर करने से पहले एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार ने भारी भरकम खर्चे पर सोल्जरों को गांवों तक लाकर जो मौजूदा व्यवस्था लागू की है, क्या वह जनता की नजर में जरूरी है या यह महज दिखावा है। इस संबंध में हमारी राय है कि इस तरह का बखेड़ा खड़ा कर लोगों को परेशान करने का कोई कारण नहीं है। सोल्जरों के द्वारा घर में छिपे जितने मरीज मिलने की संभावना है उससे ज्यादा कम मेहनत में और जल्दी हमारे लोगों के द्वारा मिलेंगें। इसकी बानगी देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। सोल्जरों द्वारा घरों की जाँच 13 मार्च से शुरू हुई तब से 1 अप्रैल तक इन्होंने शहर तीन बार जाँचा और 164 बीमारों को अस्पताल पहुँचाया। इतने ही समय में पूना नगर निगम के 3 मेडिकल अफसर नगर निगम की ओर से (प्लेग कमेटी की ओर से नहीं) जो काम कर रहे थे उन्होंने 271 बीमारों को अस्पताल पहुँचाया। इससे सैनिक लोगों से ज्यादा इस काम के लिए हमारे लोग लायक हैं, यह सिद्ध होता है। यह आँकड़े कमेटी की रिपोर्ट से लिए हैं अतः इस पर संदेह की जरुरत नहीं। हमारे हिसाब से घर-घर घूमकर मरीज ढूँढ़ निकालने के लिए नेटिव मेडिकल अफसर के साथ योजना बनाई होती और इन पर निगरानी के लिए यूरोपीय कर्मचारी की नियुक्ति करते तो यह काम अब के हिसाब से कम खर्चे में और लोगों को कम कष्ट देकर अधिक सतर्कता से संपन्न होता। ऐसा नहीं है कि यह बात वरिष्ठ अधिकारियों को पता नहीं। लेकिन नेटिव लोगों पर किसी भी हालात में भरोसा न रखने का रोग कुछ सरकारी अधिकारियों को लगा है। जिससे इतना ज्यादा खर्च एवं कष्ट हो रहा है। जिस काम में लोगों को रूचि नहीं है उस काम हेतु नियुक्त अधिकारियों के संरक्षण हेतु कुछ सैनिकों को शहर में लाना जरुरी

है। लेकिन इस कारण एक हजार गोरे और काले सिपाहियों को लाकर रखने की कोई जरुरत नहीं थी। पचास सिपाही और पाँच घुड़सवार काफ़ी थे। जरुरत हो तो वे घर में घुसें नहीं तो चौराहे पर रुके, बस इतना ही।

अब घर जाँचने और घर सफाई के लिए जो नियम दूसरी जगह से प्रसिद्ध हुए हैं उनमें क्या सुधार करने की जरूरत है, वह देखते हैं। घर जाँच करते समय टीम के साथ जाने वाले नेटिव लोगों को सोल्जर लोग नियमों का पालन करते हैं या नहीं यह देखने का अधिकार होना चाहिए। नहीं तो इन लोगों के साथ कोई भी सभ्य नागरिक अपना अपमान करवाने के लिए नहीं जाएगा। नेटिव सभ्य गृहस्थ पर अगर सैनिक से कम विश्वास हो तो उन्हें पार्टी के साथ जाने के लिए न कहें, यही अच्छा। कोई भी सभ्य गृहस्थ हिंदू लोगों के रसोई एवं पूजा घर में बिना वजह सोल्जरों का घुसना नहीं देखा जायेगा और न ही उनकी संपत्ति की हानि होते देखेगा। चौकी आदि तोड़ने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनपर सख्ती से अमल होना चाहिए। बिना वजह किसी निरोगी व्यक्ति को बीमार कहकर पकड़ कर ले जाना या जो घर पर नहीं है उनके घरों को बार-बार तहस-नहस करना बंद होना चाहिए। सेग्रिगेशन कैंप में खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर लोगों को पकड़कर ले जाने के बाद पीछे उनके घर को चूने से पोतते समय या साफ करते वक्त खुला छोड़ा तो उनकी संपत्ति एवं घर के गाय-भैंसों की देखरेख की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो दूसरे समाचार पत्र में छपे समाचार के अनुसार बीमार अस्पताल में, घर के अन्य लोग सेग्रिगेशन कैंप में और घर की संपत्ति चोर के हाथ में। ऐसी व्यवस्था रही तो सामान्य गरीब परिवारों का बड़ा नुकसान होगा। बीमार को अस्पताल और घर के अन्य लोगों को सेग्रिगेशन कैंप में भेजना ही है तो इससे कम जुल्म और कष्ट से भेजा जा सकता है इसमें संदेह नहीं। कम से कम ऐसे समय में लोगों को दो चार घंटे पहले नोटिस दें तो प्लेग कमेटी का ज्यादा काम नहीं बढ़ेगा लेकिन हाँ लोगों की सहायता होगी। यह प्लेग कमेटी को हमें बताने की जरुरत नहीं। इसके साथ गर्भवती स्त्रियाँ, प्रसूताएं, बुजुर्ग आदि सभी को कैदियों कि तरह पकड़कर अधनंगी हालत में जो सेग्रिगेशन कैंप

में भेजते है उनके साथ ऐसा न करते हुए गर्भवती स्त्रियाँ, प्रसूताएं, बुजुर्ग आदि को उनके शहर के घर में ही रहने दें तो ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा हमें नहीं लगता। सेग्रिगेशन कैंप में फिलहाल 500 लोग रहते हैं लेकिन शहर के हर गंदे घर से सभी लोगों को वहाँ भेजा गया तो हमें यकीन है कि इनकी संख्या चार गुना बढ़ जाएगी। अतः अगर गंदे घर से सभी लोगों को बाहर निकाल नहीं सकते तो चार-पाँच लोग जिनके बारे में ऊपर कहा गया है उन्हें उनके घर या गाँव में रहने दिया जायेगा तो वर्तमान की व्यवस्था में कुछ भी कमी नहीं आएगी उल्टा गवर्नर साहब के कहे मुताबिक लोगों की सहूलियत का खयाल रखने का श्रेय उन्हें मिलेगा। लोगों की संपत्ति के संरक्षण के उपाय के साथ उन्हें घर से निकाला जाएगा तो सिर्फ घर से बाहर किया इतनी ही उनकी शिकायत रहेगी। यह करना उन्हीं के हित का है, यह समझते उन्हें देर नहीं लगेगी। सार्वजनिक आरोग्य हेतु जिन बातों को करना है वह अवश्य करें और बाकी चीजों में लोगों को सहूलियत दी जानी चाहिए। यह सहूलियत अभी की व्यवस्था में उन्हें नहीं मिलती। गवर्नर साहब ने व्यवस्था हेतु जो सूचनाएँ दी थीं वह अभी अमल में नहीं आयीं। यह सब वर्तमान स्थितियों को देखकर ही हम बता रहे हैं। इधर दो दिन में शहर में कुल मृतकों की संख्या चौबीस-पच्चीस तक आ पहुँची है। यह स्थिति ऐसे ही कायम रहेगी तो बीमारी की और प्रतिबंध की व्यवस्था की महामारी जल्द ही ख़त्म होगी। नहीं तो पूना शहर के सभी लोगों को शहर छोड़ने की नौबत आयेगी।

साभार- लो. टिळकांचे केसरींतील लेख, भा 1 ला, राजकीय - खंड 1 ला, केसरी मराठा संस्था, पुणें. 1922, पृ. 574-635

सभ्यता का इतिहास मानव अर्जित तमाम भौतिक और आत्मिक उपलब्धियों से भरा पड़ा है।ऐसा जब- जब लगा कि प्रकृति के सारे रहस्य मनुष्य की आंखों ने देख परख लिए हैं, तभी अचानक और अप्रत्याशित रूप से ऐसा कुछ किसी महामारी या दैवी आपदा के रूप में घटित हो जाता कि मनुष्य की ये समस्त उपलब्धियां निरुपाय और लाचार हो जातीं।

सभ्यता के इतिहास में, जिसे मनुष्य की जिजीविषा कहा गया है, उसका सर्वोत्तम रूप है कला। प्रकृति की चुनौतियों से जूझते हुए, उससे लड़ते हुए ही मनुष्य ने कला के अनेक रूपों को गढ़ा है। महामारी और उसकी विभीषिका के साक्षी कलाकारों ने तब भी मनुष्य के संघर्ष और जीवन के गीत गाये। साहित्यकारों ने उन मर्मान्तक अनुभवों को लिखा और उसे मनुष्यता की विजय गाथा के चिन्ह बना कर अंकित कर डाला।

ऐसे ही आज से लगभग सवा सौ साल पहले, जब 19वीं सदी खत्म हो रही थी, तब भी भारत के नगर और महानगर महामारी के रूप में फैले प्लेग की चपेट में आये थे। लोग शहरों को छोड़कर जंगलों की ओर भाग रहे थे।भूख, बदहाली और अजानी बीमारी का ख़ौफ़। एक गुलाम देश अपनी दासता और उस प्लेग नुमा महामारी की नियति से कैसे - कैसे लड़ रहा था।क्या-क्या झेलना पड़ रहा था भारत को उन अंग्रेज अधिकारियों के हवाले जो पहले से ही इसकी हड्डियां तक चूस चुके थे, इस पुस्तक में उसी का ऐतिहासिक आख्यान है, और कहानी है हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की। क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ते हुए आपके लिए तय कर पाना मुश्किल होगा कि असली महामारी क्या थी, प्लेग या पराधीनता ?

- कथाकार देवेन्द्र

BROADWAY PUBLISHING HOUSE
ISBN: 9789394548084
9 789394 548084
₹ 999/-